November, 1996 at New Delhi under the Chairmanship of Union Minister of Water Resources, it was agreed that the negotiating team as already set up by Ministry of water Resources in October 1996, should hold talks with M/s. Sumitomo Corporation, Japan, the suppliers of the Turbo-generating sets for the river bed power house of Sardar Sarovar Project, and expedite early procurement and installation of Turbo generating sets already manufactured and stored or in advance stage of fabrication in Japan. It will lead to further course of action in this regard.

Indo-Russian agreement on defence matters

2784. PROF. RAM KAPSE: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether any agreement has been signed between India and Russia in respect of defence matters;

(b) whether the agreement covers the area of military interest equipments and joint exercises etc; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI N.V.N. SOMU): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) An Agreement on Service-to-Service co-operation between India and the Russian Federation was signed in October, 1996. This Agreement provides for co-operation in the field of training, visits of Military Specialists to each other's country, preparation of programmes of participation in joint military exercises, participation in seminars/symposia and exchange of good-will visits.

देश में राष्ट्रीय राजमार्गों और क्षेत्र के बीच अनुपात

2785. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई और प्रत्येक राज्य में शामिल कुल क्षेत्र के बीच अनुपात का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) किसी राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की स्वीकृति के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या उन राज्यों के दावों पर विचार करने का कोई प्रस्ताव है जिनमें राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई और राज्य के कुल शामिल क्षेत्र के बीच अनुपात कम है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी० जी० वेंकटरामन): (क) एक विवरण संलग्न है। **(नीचे देखिए)**

(ख) नए राष्ट्रीय राजमार्गों का चयन करने का मानदण्ड निम्नलिखित हैं:—

(i) देश के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने वाली सड़कें।

(ii) सीमावर्ती देशों को जोड़ने वाली सड़कें।

(iii) राज्यों की राजधानियों को जोड़ने वाली सड़कें।

(iv) महापत्तनों और महत्वपूर्ण औद्योगिक अथवा पर्यटक केन्द्रों को जोड़ने वाली सड़कें।

(v) अत्यंत महत्वपूर्ण सामरिक अपेक्षाओं को पूरा करने वाली सड़कें।

(vi) ऐसी सड़कें जिनकी पर्याप्त लम्बाई पर यातायात अत्यधिक सघन हो; और

(vii) ऐसी सड़कें जिनसे यात्रा की दूरी काफी कम हो जाए और उससे पर्याप्त बचत हो।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग का अभिप्राय स्थानीय/राज्यीय हितों से अलग राष्ट्रीय हितों को पूरा करना है। सड़कें की राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषणा किसी प्रादेशिक क्षेत्र, जनसंख्या अथवा राज्य के आधार पर नहीं बल्कि पूरे देश को ध्यान में रखते हुए की जाती है।